<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०- 03, बरेली ।</u>

फौजदारी वाद सं०- 1508 / 2023

राज्य बनाम रामलखन वर्मा आदि।

मु०अ०सं०- 41 / 76
धारा- 409,467,468,471,477A,420B,120B भा०दं०सं०
थाना- भुता, बरेली ।

<u>दिनांक-27.06.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। बार बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

अभियुक्तगण रामलखन वर्मा, किशनलाल, दयाराम, छेदालाल व तिलक सिंह के विरुद्ध पूर्व तिथि पर न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किये गये थे। अभियुक्तगण किशनलाल, दयाराम व छेदालाल के विरुद्ध जारी वारंट पर उ०नि० श्री अपसार मियां, थाना भुता, जिला बरेली द्वारा इस आशय की आख्या प्राप्त हुई कि उक्त वारंटों की तामीला कराई गई तो पता चला कि अभियुक्तगण किशनलाल पुत्र नत्थू, दयाराम पुत्र डोरीलाल व छेदालाल पुत्र तोताराम की मृत्यु कई वर्ष पूर्व हो चुकी है एवं अभियुक्त रामलखन वर्मा के विरुद्ध जारी वारंट पर उ०नि० श्री गौतम सिंह, थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत द्वारा इस आशय की आख्या प्राप्त हुई कि उक्त वारंट की तामीला कराई गई तो पता चला कि अभियुक्त रामलखन वर्मा पुत्र कन्हई लाल वर्मा की मृत्यु दिनांक 19.05.2007 को हो चुकी है तथा अभियुक्त तिलक सिंह के विरुद्ध जारी वारंट पर उ०नि० श्री राजेन्द्र सिंह, थाना कोआपरेटिव सैल, बरेली द्वारा इस आशय की आख्या प्राप्त हुई कि उक्त वारंट की तामीला कराई गई तो पता चला कि अभियुक्त तिलक सिंह पुत्र झम्मन लाल की मृत्यु दिनांक 25.10.2022 को हो चुकी है। अभियुक्त रामलखन वर्मा व तिलक सिंह का छायाप्रति मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न है। साक्षीगण हरपाल सिंह पुत्र तिलक सिंह व उ०नि० राजेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया गया।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में वाद की कार्यवाही अभियुक्तगण रामलखन वर्मा, किशनलाल, दयाराम, छेदालाल व तिलक सिंह के विरुद्ध उपशमित की जाती है। चूंकि पत्रावली में आरोप पत्र उपरोक्त अभियुक्तगण **रामलखन वर्मा, किशनलाल, दयाराम, छेदालाल व तिलक सिंह** के विरुद्ध ही प्रस्तुत किया गया था, अतः वाद में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या- 03, बरेली ।

Digitally signed by Ashutosh - II
Date: 2023.08.07 10:57:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court